निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 48 / 2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामगोपाल पाटोदिया पुत्र रामसहाय जाति महाजन निवासी ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी 51 करणी कालोनी, विजयबाडी, पथ नम्बर 07 सीकर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री चिमनलाल मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ।
2. राधेश्याम पुत्र रामसहाय जाति महाजन निवासी ग्राम चारणवास, काली पहाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान हाल सी–24, अम्बाबाडी, टैगोर स्कूल के सामने, जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 231 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 206 / 2006 पुनः दर्ज 28 / 2014 (06 / 2018) ब उनवानी हरिनारायण बनाम रामगोपाल पाटोदिया मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 78 / 2023 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी रमेश कुमार सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेश कुमार वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 03.08.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 206 / 2006 पुनः दर्ज 28 / 2014 (06 / 2018) ब उनवानी हरिनारायण बनाम रामगोपाल पाटोदिया मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 78 / 2023 दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। जो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ से प्राप्त हुई। अप्रार्थी 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार वर्मा ने

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी रामगोपाल पाटोदिया ने आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत कर श्रीमती सुशीला देवी पत्नी राधेश्याम, चिरंजीलाल (फौत) के वारीसान नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व॰ श्री चिरंजी लाल, राधा देवी पत्नी स्व॰ श्री चिरंजी लाल, महेश कुमार पुत्र स्व॰ श्री हरिनारायण को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2018 को मूल टी आई प्रार्थना पत्र को वाद के साथ संलग्न करने हेतु पेश किया गया उसके उपरान्त प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत 151 सी पी सी प्रस्तुत किया गया उसके साथ मिन प्रार्थी का काउन्टर क्लेम जबाब दावा मय काउन्टर वाद पेश किया, जिस में वादी को जबाब व जबाब उल जबाब पेश किया जाना आवश्यक हुआ। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने वादी प्रार्थी का जबाब उल जबाब एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी पी सी की सुनवाई का अवसर समाप्त कर पत्रावली को बहस में नियत कर दिया तथा मिन प्रार्थी/प्रतिवादी की बिना सुनवाई मौका दिये बिना ही उक्त वाद पत्र को वादी से मिलीभगत कर निर्णय किये जाने की सम्भावना है। उक्त परिस्थति में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं रही है। अतः उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी का पक्ष कमजोर है इसलिए प्रकरण के निस्तारण में देरीना करने की गरज से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। पत्रावली पर सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ से टिप्पणी प्राप्त हुई है। जिसके अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त प्रकण उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष लम्बित नहीं होकर सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष लम्बित है। चूंकि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से चार्ज उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पास ही है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 206/2006 पुनः दर्ज 28/2014 (06/2018) ब उनवानी हरिनारायण बनाम रामगोपाल पाटोदिया मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 78/2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.08.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जा कर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ व उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **03.08.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner